अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

337/2018/225 भंवरलाल V/S विश्राम वगै०

R.R

तारीख पेशी	2018/500337 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी हुए
	श्री हरदत्त लहारिया, एड० अपी० श्री निर्मल कुमार जैन -1 GA. 2,3	
19/6/19	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई । उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया । रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस आपत्ति की गई कि अपील अंतर्गत धारा 225 राज0काश्त0अधि0 1955 संधारण योग्य नहीं है क्योंकि अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 17.3.2016 को कोई आदेश ही पारित नहीं किया गया है । इसके बावजूद बिना आदेश के ही अपीलांटस द्वारा यह अपील पेश की गई है जो संधारण योग्य नहीं है । अतः अपीलांट खारिज की जावे । विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने जवाब में कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/अपीलांट द्वारा वादपत्र के साथ धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें कथन किया कि वर्तमान अभिलेख में गलत तौर से रेस्पो0 के नाम खातेदारी अंकन की गई है जबकि लिखित बंटवारा पूर्व में हो चुका है जिसके अनुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त है परन्तु रेस्पो0 गलत इंद्राज के आधार पर भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहता है । इस कारण अप्रार्थी/रेस्पो0 को यथास्थिति कायम किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा बिना प्रार्थना पत्र का अवलोकन किये ही नोटिस जारी करने के आदेश कर दिया जबकि अधी0न्याया0 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित कर रेस्पो0 को पाबंद करना चाहिये था । हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं अधी0न्याया0 की पत्रावली तथा आदेशिका दिनांक 17.3.2016 का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट/प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । यह एक विधिक प्रकिया है न कि आदेश । उक्त आदेशिका दिनांक 17.3.2016 के विरूद्ध यह अपील अंतर्गत धारा 225 राज0काश्त0अधि0 1955 पोषणीय नहीं है क्योंकि अधी0न्याया0 द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलांट पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	